[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 35/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2017

का.आ. (अ), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 के उपवाक्य (34) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 40/2012-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 02 मई, 2012, जिसे का.आ. 993 (अ), दिनांक 02 मई, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम सं. 2 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि (ii) को निरसित कर दिया जाएगा

(ii) क्रम सं. 3 के समक्ष कॉलम (3) में प्रविष्टि (xxxvii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा

''(xxxvii) धारा 149 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 47 या धारा 51, जैसी स्थिति हो, के अंतर्गत माल के क्लियरेंस के लिए आदेश दिए जाने के पश्चात'',

(iii) क्रम सं. 5 के समक्ष कॉलम (3) में-

(क) प्रविष्टि (iv) के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

''(ivक) धारा 30'',

(ख) प्रविष्टि (xxi) के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

''(xxxvii) धारा 149 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 47 या धारा 51, जैसी स्थिति हो, के अंतर्गत माल के क्लियरेंस के लिए आदेश दिए जाने के पश्चात''।

[फा.सं. 450/198/2015-सीमा शुल्क IV]

(जुबेर रियाज)

निदेशक (सीमा शुल्क)

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 40/2012- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 02 मई, 2012 को का.आ. 993 (अ), दिनांक 02 मई, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड3-, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 25/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 31 मार्च, 2017, जिसे का.आ. 1038 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।